

उत्तराखण्ड शासन  
औद्योगिक विकास अनुभाग-1  
संख्या: 1924/VII-1/2018/17 सोपस्टोन/16  
देहरादून, दिनांक: 05 नवम्बर, 2018  
कार्यालय ज्ञाप

जनपद बागेश्वर, तहसील दुगनाकुरी के ग्राम पपोली, लग्गा काफली व उडियार में 3.678 है० भूमि में सोपस्टोन के खनन पट्टा चाहने हेतु श्री दीवान सिंह पपोला पुत्र श्री त्रिलोक सिंह पपोला, ग्राम काफली, तहसील दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर के आवेदन पत्र दिनांक 30.9.2015 के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1273/VII-1/17 सोपस्टोन/2016, दिनांक 16 अगस्त, 2016 द्वारा श्री दीवान सिंह पपोला पुत्र श्री त्रिलोक सिंह पपोला, ग्राम काफली, तहसील दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर के पक्ष में जनपद बागेश्वर, तहसील दुगनाकुरी के ग्राम पपोली लग्गा काफली व उडियार में कुल 02.413 है० भूमि में 25 वर्ष की अवधि हेतु सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु आशय पत्र स्वीकृत किया गया।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-1093/मु०ख०/46/भू०खनि०ई०/खनन पट्टा/2016-17, दिनांक 07 अगस्त, 2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में श्री दीवान सिंह पपोला पुत्र श्री त्रिलोक सिंह पपोला, ग्राम काफली, तहसील दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर के पक्ष में जनपद बागेश्वर, तहसील दुगनाकुरी के ग्राम पपोली लग्गा काफली व उडियार में कुल 02.413 है० भूमि पर सोपस्टोन के खनन पट्टा हेतु शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.8.2016 द्वारा स्वीकृत आशय पत्र की अनुपालना में हुए लगभग 18 माह के विलम्ब का मर्षण करते हुए जनपद बागेश्वर, तहसील दुगनाकुरी के ग्राम पपोली लग्गा काफली व उडियार में कुल 02.413 है० भूमि में उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 यथासंशोधित, 2017 के प्रावधानानुसार सोपस्टोन का 25 (पच्चीस) वर्ष की अवधि का खनन पट्टा निम्नवत् स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है :-

1	उपखनिज का नाम	सोपस्टोन
2	क्षेत्रफल	जनपद बागेश्वर, तहसील दुगनाकुरी के ग्राम पपोली लग्गा काफली व उडियार में जोतदार के नाम ज्येड ए की भूमि 0.778 है०, जोतदार के नाम नॉन ज्येड ए की श्रेणी 4 की 0.353 है०, श्रेणी 5 की 0.923 है०, राज्य सरकार की 0.223 है०, सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी 10(1) की 0.033 है०, 10(2) की 0.092 है० व 10(4) की 0.011 है० है। इस प्रकार आवेदित क्षेत्रान्तर्गत आने वाली भूमि का कुल रकवा 02.413 है० भूमि एक संहत खण्ड में खसरा विवरण एवं खसरा मानचित्र के अनुसार उपलब्ध क्षेत्र का भूमि पर वास्तविक सीमाबन्धन खेतवार एवं खसरावार क्षेत्र के आधार पर निर्धारित।
3	अवधि	खनन पट्टा के पंजीयन की तिथि से 25 वर्ष
4	अपरिहार्य भाटक	उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के द्वितीय अनुसूची एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
5	स्वामित्व (रायल्टी)	उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के प्रथम अनुसूची एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
6	अन्य कर	राजकीय नियमानुसार

**अतिरिक्त शर्तें:**

- शासनादेश के दिनांक से छः माह के भीतर समुचित पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है तो शासनादेश बिना किसी पूर्व सूचना के ही आवेदन शुल्क जब्त करते हुये प्रतिसंहृत कर दिया जायेगा।

- 7.2 वन विषयक यदि स्वीकृत क्षेत्र का कोई भाग वन भूमि में पाया जाता हो या घोषित होता है, पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार वन भूमि पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
- 7.3 पट्टाधारक को खनन के दौरान विलेख की शर्तों/खनन नियमों/शासनादेशों/स्थानीय आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
- 7.4 खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सार्वजनिक उपयोग की भूमि श्रेणी 10(1) की 0.033 है०, 10(2) की 0.092 है० व 10(4) की 0.011 है० भूमि में खनन कार्य निषिद्ध रहेगा।
- 7.5 प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर, वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्र संख्या-2659/9-2, दिनांक 17.03.2016 के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर उपलब्ध विभिन्न प्रजाति व व्यास के 02 वृक्षों की सुरक्षा का दायित्व आवेदक को होगा एवं खनन कार्य से वृक्षों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचायी जायेगी।
- 7.6 पट्टाधारक द्वारा जिला पर्यावरणीय समाघात निर्धारण समिति (DEIAA) द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति संख्या-12/DEIAA/BAG-EC/2017-18, दिनांक 9.5.2018 की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 7.7 पट्टाधारक द्वारा अपरिहार्य भाटक की देयता पट्टा विलेख के दिनांक से देय होगी।
- 7.8 पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य का प्रारम्भ संबंधित भू-स्वामियों की सहमति/अनापत्ति के उपरान्त ही किया जायेगा।
- 7.9 स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

बृजेश कुमार सन्त  
अपर सचिव

संख्या: 1924 (1)/VII-1/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. श्री दीवान सिंह पपोला पुत्र श्री त्रिलोक सिंह पपाला, ग्राम काफली, तहसील दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर को उक्तानुसार खनन पट्टा विलेख निष्पादन हेतु नियमानुसार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के माध्यम से प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)  
उप सचिव